ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-121/2020-2021

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** के 01/2019 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार-II एवं श्री डी0के0 मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15-01-2021 से 02-02-2021 तक श्री टी0 एस0 नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रमोद चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 14/01/2019 से 24/01/2019 तक संपादित की गयी थी जिसमें 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2019 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰			
2017-18	--	--	शून्य				--	--	--
2018-19	--	--					--	--	--
2019-20	--	--					--	--	--
2020-21 (12/2020 तक)	--	--					--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/बचत(-)
2017-18	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	327	1213	844	697
2018-19		697	1208	1086	818
2019-20		818	1443	1282	979
2020-21 (12/2020 तक)		979	1676	899	1756

(ii) इकाई को बजट नाको, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. गवेर्निंग बॉडी 2. एक्सिकिटिव बॉडी 3. परियोजना निदेशक 4. अपर परियोजना निदेशक आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019, एवं 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:01- राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (पौड़ी) के मान्यता हेतु मार्च,2011 में सलाहकार,चिकत्सा शिक्षा को एम.सी.आई. की निरीक्षण टीम की व्यवस्था हेतु दिया गया रु.1.00 लाख (नकद) loan की मात्र 7% वसूली हो पाना तथा शेष 93% वसूली का लगभग 10 वर्षों बाद भी लंबित रहना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटन, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की, Operational Guidelines for Financial Management के पैरा 5.4 के अनुसार:- "The funds under the project are to be utilized and reported under the same heads as given for the budget plan). अर्थात, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण समिति को, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) के अंतर्गत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार अनुदान दिया जाता है जिसका उपयोग स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के कार्यों पर किया जाएगा।

समिति के अभिलेखों की संप्रेक्षा में पाया गया कि NACO की "Operational Guidelines for Financial Management " के विपरीत उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, सलाहकार, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा, उत्तराखंड को मार्च,2011 में राजकीय मेडिकल कॉलेज,श्रीनगर (पौड़ी) की मान्यता हेतु एम.सी.आई. की निरीक्षण टीम की हवाई यात्रा,रहने ,खाने इत्यादि की व्यवस्था के लिए रु. 1.00 लाख कि नगद धनराशि loan /अग्रिम दिया गया । उपरोक्त अग्रिम की राशि 10 दिन के अंदर वापस लौटाये जाने की शर्त पर दी गयी थी । लगभग 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इकाई को अब तक मात्र रु. 6912/- ही वापस किया गया है, शेष धनराशि रु.93088.00 (93%) की वसूली अभी लंबित है (जनवरी,2021)।

इंगित करने पर इकाई द्वारा आकड़ों व तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि USCAS की कार्यकारणी समिति की अनुमति / निर्देश के अनुपालन में जनहित/आवश्यकता के अनुरूप अग्रिम धनराशि आवंटित की गयी। अग्रिम धनराशि के समायोजन हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है,क्योकि वार्षिक कार्य योजना में आबंटित राशि मुख्यतः एड्स की जागरूकता व रोकथाम के प्रयोजन हेतु है। इकाई द्वारा, NACO के दिशानिर्देशों के विपरीत, अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम दिया गया तथा अवशेष रु.93088/- की वसूली लगभग 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नहीं की गयी।

अतःप्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-2 (ब)</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> राज्य रक्त संचरण परिषद (SBTC) हेतु राज्य अनुदान की धनराशि पर अर्जित ब्याज रु. 16.96 लाख को शासन को वापस न लौटाया जाना तथा राज्य अनुदान की अवशेष राशि (रु 15.00 लाख) का उपयोग निर्धारित मद "विभिन्न प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति" पर न कर व्यावर्तित करना।

उत्तराखंड,राज्य एड्स नियंत्रण समिति (USACS) को राज्य रक्त संचरण परिषद (SBTC) के कार्यों के संचालन हेतु राज्य-सहायता अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित राशि रु.40.00 लाख के सापेक्ष रु. 30.00 लाख आवंटित थे (शासनादेश सं- 359/XXVIII-3-2020-33/2011 दिनांक:-17 जुलाई,2020)।अनुदान की शर्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग उसी मद पर किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाएगा।

समिति द्वारा राज्य-सहायता अनुदान के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि का खाता, बैंक ऑफ बड़ोदा,देहरादून में सितम्बर,2012 से संचालित था (खाता सं॰ 00880100014107) । उक्त खाते में दिसम्बर, 2020 तक जमा राज्य सहायता अनुदान कि धनराशि पर अर्जित ब्याज रु.16.96 लाख था। नियमानुसार, विभागीय बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज कि राशि को आहरित कर चालान के माध्यम से कोषागार में लेखा शीर्ष-" 0049-ब्याज प्राप्तियाँ " के अंतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित था।

संबन्धित पत्रावली / अभिलेखों की जांच में पाया गया कि USACS की गवर्निंग बॉडी की दिनांक 13 मई, 2020 की बैठक में अर्जित ब्याज रु.16.96 लाख की धनराशि से राजकीय रक्तकोषो में विभिन्न प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री क्रय करने का निर्णय लिया गया। आगे यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा कुल प्रावधानित धनराशि (रु 40.00 लाख) में से SBTC द्वारा राजकीय रक्तकोषों में विभिन्न प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति हेतु (रु 15.00 लाख) का उपयोग किया जाना था [संदर्भ: महानिदेशक,चिकत्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखंड द्वारा शासन को प्रेषित पत्र (पत्रांक:12प/रा॰का॰/एस॰बी॰टी॰सी॰/वित्तीय अनु॰/2020-21/185 दिनांक:09/07/2020] । संस्था द्वारा SBTC के लिए प्रावधानित रु 40.00 लाख के सापेक्ष प्राप्त रु 30.00 लाख को राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित मदों में व्यय किए जाने के लिए अवलोकित किया गया (गवर्निंग बोर्ड, SBTC की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर,2020 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-03 के अनुसार) । समिति द्वारा राज्य अनुदान की अवशेष राशि (रु 15.00 लाख) का उपयोग निर्धारित मद "विभिन्न प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति" पर न कर व्यावर्तित कर अन्य मदों (कम्प्यूटर विद अक्सेसरीज तथा एल॰ई॰डी॰डिस्प्ले) की आपूर्ति हेतु अग्रिम धनराशि आबंटित किया गया तथा अर्जित ब्याज रु.16.96 लाख की धनराशि से विभिन्न प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति हेतु e-tendering का विज्ञापन केवल एक समाचारपत्र में दिया गया जिसकी देयता रु 5987/-है।

समिति द्वारा प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति हेतु मद में धनराशि उपलब्ध होने के वावजूद अर्जित ब्याज से प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री क्रय करने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व वित्त अनुभाग, उत्तराखंड शासन से अनुमति/पत्राचार किए बिना ही सामग्री की आपूर्ति हेतु e-tendering के विज्ञापन पर रु 5987/-व्यय किए जाने की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार SBTC को 'कोर्पस फंड 'बनाना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न

माध्यमों से प्राप्त फंड का प्रबंधन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक उल्लेखित बैंक खाते में प्राप्त रु 13.21 लाख यूजर चार्जेज की राशि तथा रु 3.75 लाख ब्याज की राशि उपलब्ध थी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उक्त बैंक खाते में राज्य अनुदान से प्राप्त धनराशि की जमा पर अर्जित ब्याज प्राप्तियाँ रु. 16.96 लाख थी। वैसे भी अर्जित ब्याज राशि कम /अधिक कुछ भी हो,शासन को राजकोष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना अपेक्षित था। समिति द्वारा शासनादेश के विपरीत राज्य अनुदान की अवशेष राशि (रु 15.00 लाख) का उपयोग निर्धारित मद "विभिन्न प्रयोगशाला कंज्यूमेबल सामग्री की आपूर्ति" पर न कर व्यावर्तित कर अन्य मदों (कम्प्यूटर विद अक्सेसरीज तथा एल॰ई॰डी॰डिस्प्ले) की आपूर्ति हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में आबंटित की गयी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर03:- रु 16.46 लाख की सामाग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

वित्त मंत्रालय के कार्यालयज्ञाप संख्या: No.F.1/26/2018-PPD, दिनांक: 2 अप्रैल 2019 के अनुसार सामान्य वित्तीय नियम 2017 में निम्न प्रकार संसोधन किए गए "

Rule 147: Powers for procurement of goods: The Ministries or Departments have been delegated full powers to make their own arrangements for procurement of goods and services, **that are not available on GeM (Government e-Marketplace). Common use Goods and Services available on GeM are required to be procured mandatorily through GeM as per Rule 149.**

Rule 149: Government e-Marketplace (GeM): Government of India has established the Government e-Marketplace (GeM) for common use Goods and Services. GeM SPV will ensure adequate publicity including periodic advertisement of the items to be procured through GeM for the prospective suppliers**. The Procurements of Goods and Services by Ministries or Departments will be mandatory for Goods or Services available on GeM.**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के Annual Action Plan के अनुसार, कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून को भारत सरकार से आवंटित धनराशि रु0 1803.67 लाख का व्यय सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार किया जाना था।

कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून द्वारा रु0 16,45,527/- की सामाग्री को GeM (**Government e-Marketplace**) पोर्टल से क्रय करने हेतु प्रक्रिया अपनाए बिना ही, निविदा के माध्यम से क्रय किया गया। जिसका विवरण निमन्वत है-

क्र0 स0	**सामग्री**	**मात्रा**	**फार्म**	**सामग्री की कीमत (रु0 में)**	**दिनांक**
1.	सेंटीफ्यूज मशीन (8 ट्यूब)	20	मै0 रिषभ इंटरप्राईजेज़, देहारादून	2,50,000/-	24/09/2020
2.	सेंटीफ्यूज मशीन (16 ट्यूब)	10	मै0 अकांक्षा इंटरप्राईजेज़, देहारादून	4,77,900/-	09/10/2020
3.	वॉक-इन-कूलर	01	मै0 अकांक्षा इंटरप्राईजेज़, देहारादून	9,17,627/-	09/10/2020
	योगफल			**16,45,527/-**	

इस प्रकार, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर GeM (**Government e-Marketplace**) पोर्टल से क्रय करने हेतु प्रक्रिया अपनाए बिना ही, निविदा के माध्यम से रु0 16.46/- लाख की सामग्री क्रय की गयी।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि "GeM Portal पर समिति का पंजीकरण दिनांक 14 जून 2020 को हुआ था तबकि Centrifuge machine (8 tube) and Cetrifuge machie (16 tube) and Walk-in-cooler ई- निविदा हेतु विज्ञप्ति 12 जून 2020 को प्राप्त हो गया था जिस के पश्चात उक्त कार्य हेतु ई-निविदा हेतु विज्ञप्ति राष्ट्रीय दाईकी समाचार पत्र अमर उजाला उत्तराखंड संसक्रण में 23 जून 2020 को प्रकाशित होने हेतु कार्यदेश जारी कर दिया था जस कारण उक्त सामग्री GeM पोर्टल द्वारा क्रय नहीं की गई।"

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वित्त मंत्रालय का कार्यालयज्ञाप संख्या: No.F.1/26/2018-PPD, दिनांक: 2 अप्रैल 2019 को जारी हुआ था तथा GeM पोर्टल पर पंजीकरण करना एक सामान्य प्रक्रिया है, GeM पोर्टल पर, पंजीकरण अल्पावधि में ही किया जा सकता है किन्तु इकाई की उदासीनता के कारण GeM पोर्टल पर पंजीकरण करने में 15 माह 10 दिन का समय लगा।

इस प्रकार, इकाई की उदासीनता के कारण सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर GeM (**Government e-Marketplace)** पोर्टल से क्रय करने हेतु प्रक्रिया अपनाए बिना ही, ई-निविदा के माध्यम से रु0 16.46/- लाख की सामग्री को क्रय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 (ब)</u>

<u>प्रस्तर:04-</u> बिना मूल टिकट के रु0 1,30,194/- का यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति किया जाना।

भारत सरकार के शासनादेश संख्या: T.11025/28/2009-NACO, दिनांक: 26.08.2009 के अनुसार यात्रा भत्ता के लिए किए गए दावे के साथ मूल टिकट भी संलग्न करना आवश्यक है। कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रक समिति, देहारादून के अभिलेखों एवं यात्रा भत्ता अभिलखों की संप्रेक्षा में पाया गया कि यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किये गए बिल के आधार पर बिना मूल टिकट के धनराशि रु0 **1,30,194**/-(अनुलग्नक-1 के अनुसार) का यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान किया गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि "कार्मिको द्वारा पात्रता के अनुसार ही यात्रा भत्ता बीजक प्रस्तुत करने पर समिति द्वारा साक्षी में टिकट प्रस्तुत करने पर ही भुगता किया जाता है तथा टिकट / बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उत्तराखंड परिवहन द्वारा निर्धारित साधारण बस सेवा के अनुसार भुगतान किया गया है।"

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत सरकार के शासनादेश संख्या: T.11025/28/2009-NACO, दिनांक: 26.08.2009 के अनुसार यात्रा भत्ता के लिए किए गए दावे के साथ मूल टिकट भी संलग्न करना आवश्यक है।

इस प्रकार, यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किये गए बिल के आधार पर, बिना मूल टिकट के धनराशि रु0 **1,30,194**/- का यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति भुगतान किए जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

क्र0 सं0	यात्रा प्रतिपूर्ति हेतु दावा करने वाले कर्मचारी का नाम	यात्रा अवधि	बिना मूल टिकट/ टिकट संख्या के प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि (रु0 में)
1.	अरुण चमोली	09/12/18 से 11/12/18 तक	800
2.	भावना	20/12/18 से 22/12/18 तक	600
3.	मनीष चन्द्र थपलीयल	20/12/18 से 22/12/18 तक	600
4.	महाबीर सिंह कंवर	20/12/18 से 23/12/18 तक	1300
5.	पुष्कर सिंह कठेत	09/12/18 से 12/12/18 तक	1400
6.	हेमलता भट्ट	09/12/18 से 12/12/18 तक	1400
7.	कुशलानन्द भट्ट	9/12/18 से 12/12/18 तक	1100
8.	महावीर प्रसाद पालीवाल	9/12/18 से 12/12/18 तक	1100
9.	निर्मल चन्द्र मुरारी	20/12/18 से 23/12/18 तक	1460
10.	उमेश सिंह रावत	20/12/18 से 23/12/18 तक	1460
11.	वेणु शर्मा	10/12/18 से 11/12/2018 तक	400
12.	पवन कुमार कश्यप	10/12/18 से 11/12/18 तक	600
13.	जगदीप सिंह बिष्ट	10/12/18 से 12/12/18 तक	500
14.	सुमन राणा	9/12/18 से 12/12/18 तक	1000
15.	मनीष खुलबे	21/12/18 से 22/12/18 तक	840
16.	जगत सिंह करकोटि	21/12/18 से 22/12/18 तक	840
17.	आरती देवी	10/12/18 से 11/12/18 तक	900
18.	अनिल कुमार	10/12/18 से 11/12/18 तक	900
19.	दिनेश जोशी	20/12/18 से 23/12/18 तक	1380
20.	मुकेश सिंह	9/12/18 से 12/12/18/ तक	960
21.	प्रियंका सुकलनी	9/12/18 से 12/12/18 तक	800
22.	विजय पल सिंह	10/12/18 से 12/12/18 तक	1000
23.	प्रदीप चौहान	09/12/18 से 12/12/18 तक	1100
27	यश गंगवार	28/01/20 से 30/01/20 तक	1800
28	मोहन कुमार	29/01/20 से 29/01/20 तक	500
29	विनोद सिंह बिष्ट	29/01/20 से 29/01/20 तक	500
30	लक्ष्मी थपलीयल	29/01/20 से 29/01/20 तक	510
31	अजय राणा	29/01/20 से 29/01/20 तक	510
32	रचना	28/01/20 से 30/01/20 तक	700
33	पिंकी	29/01/20 से 29/01/20 तक	600
34	सुभाम कुमार	29/01/20 से 29/01/20 तक	500
35	विपिन कुमार	29/01/20 से 29/01/20 तक	500
37	मनोज कुमार	28/01/20 से 29/01/20 तक	1250
39	डिमपी चौधरी	29/01/20 से 29/01/20 तक	500
40	कविता पाण्डेय	28/01/20 से 30/01/20 तक	1360
41	परमजीत कौर	28/01/20 से 30/01/20 तक	2846
42	मंजीत कुमार	28/01/20 से 30/01/20 तक	2792
43	शरीक नायक	28/01/20 से 30/01/20 तक	2672
44	शिव प्रसाद डोभल	26/02/19 से 01/03/19 तक	1300
45	महाबीर सिंह असवाल	27/02/19 से 28/02/19 तक	600

46	रीना कुकरेजा	27/02/19 से 27/02/19 तक	500
47	आशा चौधरी	27/02/1 से 01/03/19 तक	700
48	रामलाल	26/02/19 से 28/02/19 तक	580
49	आशीष बहेल	20/02/19 से 28/02/19 तक	960
58	पूनम शाह	27/02/19 से 28/02/19 तक	1000
59	यशवीर सिंह	26/02/19 से 01/03/19 तक	1300
60	पुष्कर सिंह कठेत	26/02/19 से 01/03/19 तक	1700
61	कुशलनन्द भट्ट	26/02/19 से 01/03/19 तक	1600
62	सिनथिया	28/02/19 से 28/02/19 तक	640
63	फरहना परवीन	26/02/19 से 01/03/19 तक	2070
64	वेणु शर्मा	27/02/19 से 28/02/19 तक	900
65	निधि बिष्ट	26/02/19 से 01/03/19 तक	1500
66	आरती	26/02/19 से 01/03/19 तक	1230
67	संदीप चौहान	26/0219 से 28/02/19 तक	970
68	प्रियंका	26/02/19 से 01/0219 तक	1200
69	रेखा कुकरेती	27/02/19 से 27/02/19 तक	560
70	भारती उनियाल	27/02/19 से 28/02/19 तक	800
71	सीमा जोशी	27/02/19 से 28/02/19 तक	800
72	हर्षपल सिंह नेगी	26/02/19 से 01/03/19 तक	1500
73	मुकेश सिंह	26/02/19 से 01/03/19 तक	1060
74	मदीप सिंह	26/02/19 से 01/03/19 तक	1500
75	डॉ0 अर्चना मोहन	26/07/19 से 26/07/19 तक	2205
76	डॉ0 प्रियशी श्रीवास्तव	26/07/19 से 28/07/19 तक	2000
77	डॉ0 सुषमा नेगी	21/09/19 से 22/09/19 तक	2580
78	जवाहरलाल चौधरी	26/0719 से 28/07/19 तक	1390
80	डॉ0 अजय प्रताप	22/09/19 से 23/09/19 तक	2633
81	पुष्कर सिंह	11/09/19 से 14/09/19 तक	1700
82	प्रियंका चौधरी	11/09/19 से 14/09/19 तक	800
83	फरहना परवीन	10/09/19 से 14/09/19 तक	2570
84	नीलम खरायत	10/09/19 से 14/09/19 तक	2570
85	संगीता कुकरेती	11/09/19 से 14/09/19 तक	1200
86	कुशलननाद भट्ट	11/09/19 से 14/09/19 तक	1600
87	हर्षपल सिंह नेगी	12/09/19 से 14/09/19 तक	1400
88	आशा चौधरी	12/09/19 से 13/09/19 तक	700
89	रेखा कुकरेती	12/09/19 से 12/09/19 तक	1000
90	सिनथिया	12/09/19 से 12/09/19 तक	1040
91	रेणु कुकरेजा	12/09/19 से 12/09/19 तक	600
92	सरिता ठाकुर	12/09/19 से 12/09/19 तक	1020
93	संदीप चौहान	11/09/19 से 13/09/19 तक	660
94	आशीष बलोदी	11/09/19 से 13/09/19 तक	500
95	आशीष बलोदी	24/02/20 से 27/02/20 तक	540
96	संदीप चौहान	24/02/20 से 26/02/20 तक	700
97	शिव प्रसाद डोभल	24/02/20 से 27/02/20 तक	1120

98	रेणु कुकरेजा	25/02/20 से 25/02/20 तक	600
99	रेखा कुकरेती	25/02/20 से 25/02/20 तक	600
100	आशा चौधरी	25/02/20 से 26/02/20 तक	700
101	महावीर सिंह कुँवर	24/02/20 से 24/02/20 तक	2840
102	मुकेश सिंह	24/02/20 से 27/02/20 तक	1000
105	संगीता कुकरेती	25/02/20 से 26/02/20 तक	1000
106	गीता	24/02/20 से 28/02/20 तक	1130
107	फरहना परवीन	24/02/20 से 28/02/20 तक	1130
108	प्रियंका चौधरी	24/02/20 से 27/02/20 तक	1600
109	महावीर सिंह असवाल	25/02/20 से 26/02/20 तक	520
114	कमाल किशोर त्रिपाठी	24/02/20 से 24/02/20 तक	2640
115	पुष्कर सिंह	24/02/20 से 24/02/20 तक	2000
116	गोदावरी नगरकोटि	24/02/20 से 25/02/20 तक	1700
117	यशवीर सिंह	24/02/20 से 27/02/20 तक	1300
118	वेणु शर्मा	25/02/20 से 26/02/20 तक	700
119	सुशील कुमार	16/11/18 से 19/11/18 तक	1936
120	दुर्गेश श्रीवास्तव	16/11/18 से 18/11/18 तक	965
121	विनोद सिंह बिष्ट	11/12/18 से 13/12/18 तक	355
122	डिमपी चौधरी	14/02/20 से 14/02/20 तक	500
123	गिरीश चंद्रा	14/02/20 से 15/02/20 तक	2040
124	सीमा	31/10/19 से 01/10/19 तक	550
125	जगदीश चन्द्र	30/10/19 से 02/11/19 तक	2510
126	अमित कुमार	17/12/19 से 17/12/19	580
127	मोहद्वाफि	17/12/19 से 17/12/19 तक	580
128	हेमलता	17/12/19 से 17/12/19 तक	580
129	जॉनी कुमार	17/12/19 से 18/12/19 तक	490
130	नितिन कुनर	17/12/19 से 18/12/19 तक	490
131	मनोज नैनवाल	18/11/19 से 21/11/19 तक	1600
132	पूजा सिंह	18/11/19 से 21/11/19 तक	1600
133	लक्ष्मी थपलीयल	19/09/19 से 19/09/19 तक	480
	योगफल		**130194**

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) कम्पोनेंट में अनियमित बजट आबंटन (रु.12.96 लाख) कर अनुबंध किया जाना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटन, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की " Operational Guidelines for Financial Management" के पैरा 5.5 के अनुसार:- " Funds shall not be diverted or re-appropriated for expenditure on any item not provided for or contemplated in sanctioned budget estimates " ।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) योजना से संबन्धित अभिलेखों की संप्रेक्षा में पाया गया कि NACO, भारत सरकार द्वारा एच.आई.वी. कार्यक्रम हेतु वार्षिक कार्ययोजना (AAP), 2020-21 में सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) कम्पोनेंट में बजट आबंटन रु. 192.69 लाख अनुमोदित था, जो कि जोड़ (Total) में रु.12.96 लाख कम था (पत्रसं.Z-17018/1/2019-NACO (F),दिनांक: 04 मई ,2020)। इस प्रकार यद्पि अनुमोदित कार्य योजना में IEC कम्पोनेंट में बजट आबंटन रु. 192.69 लाख अनुमोदित था, sub-component-wise बजट आबंटन रु. 179.73 लाख ही वास्तव में था एवं किस sub-component पर व्यय किया जाना है, अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना (AAP), 2020-21 में उल्लिखित नहीं था। इकाई द्वारा NACO को IEC कम्पोनेंट में स्वीकृत/ अनुमोदित कार्य योजना में उक्त अन्तर की राशि (रु.12.96 लाख) के "Display Boards at post office through e-tender/postal department" कार्यकलाप की स्वीकृति(approval) हेतु e-mail किया गया था (19 मई, 2020))।आगे जांच में पाया गया कि उक्त संदर्भ में NACO द्वारा कोई निर्देश या स्पस्टिकरण (clarification) नहीं दिया गया था। इकाई द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटन(NACO) की वित्तीय प्रबंधन हेतु Operational Guidelines के विपरीत, राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एच.आई.वी. / एड्स से संबन्धित विज्ञापन हेतु पोस्ट ऑफिस डिस्प्ले बोर्ड के लिए अतिरिक्त बजट, वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया (कार्यालय आदेश, दिनांक:01 जून, 2020)। जो कि NACO, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में नहीं था। राज्य एड्स नियंत्रण समिति,उत्तराखंड, द्वारा NACO से IEC कम्पोनेंट में बजट आबंटन में जोड़ में विसंगति (रु.12.96 लाख) दूर किए व बिना स्पस्टिकरण (clarification)/ NACO का अनुमोदन (approval) लिए एच.आई.वी. / एड्स से संबन्धित विज्ञापन हेतु पोस्ट ऑफिस डिस्प्ले बोर्ड के लिए उपरोक्त अंतर की धनराशि (रु.12.96 लाख) का अतिरिक्त बजट, वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया था, जो NACO, भारत सरकार के पत्रांक: File No.Z-17018/6/ 2016-NACO(Fin)AAP2016-17) Part file3,dated: January 09,2017 के अनुसार भी विचार योग्य नहीं था (Additional budget requirement under IEC component may not be considered by this office in future.)

IEC कम्पोनेंट में बजट आबंटन में जोड़ में विसंगति (रु.12.96 लाख) के संदर्भ में NACO, भारत सरकार से आवश्यक निर्देश/ clarification प्राप्त किए ही "पोस्ट ऑफिस डिस्प्ले बोर्ड "के लिए अतिरिक्त बजट, वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कर NGO को कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही किए जाने की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया

गया कि clarification के लिए NACO, भारत सरकार को 19 मई ,2020 को e-mail द्वारा सूचित किया गया है तथा निर्देश मांगा गया है। पोस्ट ऑफिस डिस्प्ले बोर्ड के लिए टी.आई. गाइडलाइन के अनुसार NGO को कार्यादेश जारी नहीं किया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि समिति द्वारा NACO की "Operational Guidelines for Financial Management" के पैरा 5.5 का न केवल उल्लंघन किया गया बल्कि, उक्त संदर्भ में NACO, भारत सरकार से बिना निर्देश / clarification के ही sub-component "पोस्ट ऑफिस डिस्प्ले बोर्ड" में जोड़ में अन्तर कि राशि के व्यय हेतु एकल फर्म M/s VSK Creations, Rajpur Road, Dehradun से अनुबंध कर कार्यादेश तैयार कर लिया गया ।
अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः02-</u> NACO द्वारा पिछले 03 वर्षो में जारी की गयी धनराशी रु 9.00 लाख के सापेक्ष्य मात्र 0.55% (रु 5000/=) का व्यय किया जाना एवं उक्त धनराशी को दुसरे मद में divert करना।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नेशनल एड्स कण्ट्रोल आर्गेनाइजेशन द्वारा जारी Annual Action Plan के पेरा 5 के अनुसार निर्धारित quarterly व्यय 19%,24%,24% तथा 33% का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं यदि यह लक्ष्य society द्वारा पूर्ण नही किया गया तो NACO द्वारा वार्षिक योजना कम कर दी जाएगी और आगामी quarters में कम धनराशी अवमुक्त कर दी जाएगी I इसके अतिरिक्त National AIDS Control Organisation के Operational Guidelines for Financial Management के प्रस्तर संख्या 5.4 एवं 5.5 के अनुसार Funds shall not be diverted or re-appropriated for expenditure on any item not provided for or contemplated in sanctioned budget estimates

अपर परियोजना निर्देशक, राज्य एड्स नियन्त्रण सोंसाईटी देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि society द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में ICTC/PPTC/HIV-TB activity में maintenance of equipment पर 9.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2018 तक मात्र रु 5000/= का व्यय किया गया तदुपरांत माह दिसम्बर 2020 तक कोई व्यय नही किया गया I इस प्रकार society द्वारा मात्र 0.55% धनराशी का व्यय किया गया जो निमन तालिका में उल्लेखित हैं I

Maintenance of Equipment F.Y.2018-19 to December 2020

(रु लाख)

s.no.	Year	Budget	Expenditure	Balance
01	2018-19	3.00	0.05	2.95
02	2019-20	3.00	0	3.00
03	2020-21	3.00	0	3.00
Total				8.95

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि Maintenance मद में व्यय न होने के कारण यह धनराशी Salary मद में Utilise कर दी गयी यह तथ्य मान्य नही हैं क्योकि भारत सरकार के नियमों में एक मद से किसी दुसरे मद में व्यय करने का कोई प्रावधान नही हैं I

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं I

STAN

<u>प्रस्तर:03-</u> धनराशि रु 53.17 लाख का विगत 02 वर्षो से असमायोजित रहना।

National AIDS Control Organisation के Operational Guidelines for Financial Management के प्रस्तर संख्या 6.5.2 एवं 11.11.2 के अनुसार पूर्व में दिए गये advances का समायोजन 30 दिन के भीतर सुनिश्चित करना अनिवार्य हैं उसके उपरांत नये advances जारी किये जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच के दोरान पाया गया कि 04 Activities हेतु रु 53.17 लाख की अग्रिम धनराशी जो 01/2019 से 12/2020 तक अग्रिम के रूप में संस्थाओ द्वारा क्रय किये गये जिसका समायोजन लेखापरीक्षा अवधि माह 12/2020 तक नही कराया गया हैं|

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि पूर्व में सम्बन्धित संस्थाओ को जारी की गयी धनराशि का बिना समायोजन किये fresh advances प्रदान किये गये जो NACO के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हैं ।

Sl.no	**Activity/Distt.name**	**Un-adjusted amount**
01	Advance to NGOs TIPF NDBS	1894052-50 304000-00
	Total	**2198052-00**
02	Advance to Distt. Hospitals GF-II GF-IV TIPF NDBS	 690470-00 183122-00 285099-00 437835-00
	Total	**1596526-00**
03	Advance to Distt. Authority NDBS	 996689-00
	Total	**996689-00**
04	Advance to others NDBS TIPF GF-II	 455870-00 60260-00 9384-00
	Total	**525514-00**
Grand Total		**रु.5316781-00**

इस सम्बन्ध में विभाग को इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि NACO के निर्देशानुसार सामान्य में पूर्व में दिए गये अग्रिम का समायोजन के उपरांत ही नये अग्रिम आवंटित किया जाता हैं परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्यक्रम की आवशकता एवं जनहित को देखते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत ही नया अग्रिम दिया जाता हैं तथा सम्बन्धित संस्थाओ से समायोजन अभिलेख प्राप्त होने के पशचात कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित कर दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योंकि विभाग द्वारा NACO के दिशानिर्देशों का उलंघन किया गया हैं । अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है.

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
235/2018-19	शून्य	1,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
235/2018-19	1,3,4	प्रस्तर 1,3,4 अनिस्तारित हैं, निस्तारण हेतु प्रक्रिया जारी है। तत्पश्चात कार्यालय महालेखाकर को प्रेषित कर दिया जाएगा।	अग्रिम कार्यवाही तक प्रस्तर यथावत रहेंगे।	शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री अर्जुन सिंह सेंगर	अपर परियोजना निदेशक	29.12.2018 से 26.10.2020
2	श्री सरोज नैथानी	अपर परियोजना निदेशक	27.10.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अपर परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए॰ एम॰ जी॰ -I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-I